तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 112/2024 (2024/272) अनवान अरमान खान वगैरा बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम

07-5-2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चिराई नगर पटवार मण्डल जानादेसर तहसील झंवर में खसरा नम्बर 124 कुल रकबा 14.0588 हैक्टयर में आई हुई है।

प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को अवारा पशुओ के सुरक्षा हेतु पत्थर रोपकर तारबंदी करवाने हेतु पत्थरगढी राजस्व नक्शे अनुसार करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार झंवर की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्राथीगण की एक पक्षीय बहस सूनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 124 रकबा 14.0588 हैक्टयर के खातेदार है। हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2024 अनुसार राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा नही होना प्रतीत होता है तथा मौके पर प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 124 में रकबा 10.2175 हैक्टयर पर ही कब्जा होना बताया गया। इस तरह से प्रार्थीगण की मौके पर उक्त खसरे में कुल 3.8413 हैक्टयर भूमि कम हैं। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण का ग्राम चिराई नगर के खसरा नम्बर 124 रकबा 14.0588 हैक्टयर पर वास्तविक कब्जा नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लणी